न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

पोखरराम पुत्र मांगूराम जाट

निवासी नालोट तह. नांवा

1. झूंथाराम पुत्र मांगूराम जाट (फौत)

1/1 बालीदेवी पत्नी झूंताराम

1/2 रामदेव पुत्र झूताराम

1/3 सुल्ताना पुत्र झूताराम

1/4 अर्जुनराम पुत्र झूताराम

1/5 मानाराम पुत्र झूताराम

1/6 मोहनीदेवी पुत्री झूताराम

1/7 सीणगारी पुत्री झूताराम

1/8 श्रवणीदेवी पुत्री झूताराम

1/9 पातासी पुत्री झूताराम

जति जाट सा. नालोट तह. नांवा

2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नांवा

3. मैनेजर नागौर सहकारी भूमि विकास बैंक

शाखा परबतसर तह. नांवा

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील वादी

श्री हनुमानाराम वकील प्रतिवादी 1

मुकदमां नम्बर :– 140/2004 निर्णय दिनांक :– 27.2.18

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
नांवां (नागौर)

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं क ग्राम लोरा का बास के खसरा नम्बर 877/247, 246, 247 स्थित हैं जो वादी व प्रतिवादी 1 की पैतृक भूमि रही हैं जिसके गत खसरा नम्बर 117 रकबा 70--08 बीघा हैं जिसके भू. प्रबन्ध विभगा के बाद नये खसरा नम्बर 246, 247, 247/1, 249, 250, 251 अंकित हुऐ है। जिसका वादी व वादी के भाईयों ने बंटवारा कर अलग अलग खातेदारी दर्ज कर दी गई जिसके अनुसार 249, 250, 251 कुल रकबा 4.04 हैक्टयर वादी प्रतिवादी 1 के भाई बालूराम के नाम दर्ज की गई जो सही हैं तथा मौके पर वादी के कब्जा व बंट में 25 बीघा भूमि आई जिसके वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 247 मौके पर रकबा 4.02 हैक्टयर अंकित हुऐ हैं तथा प्रतिवादी 1 के कब्जे व बंट में 20 बीघा भूमि रही जिसके मौके पर खसरा नम्बर 877/247 रकबा 3.23 हैक्टयर व खसरा नम्बर 46 रकबा 0.01 हैक्टयर अंकित हुऐ हैं मौके पर वादी के कब्जे में खसरा न्म्बर 247 तथा प्रतिवादी 1 के कब्जे में खसरा नम्बर 877/247 आये हैं लेकिन सेटलमेन्ट विभाग की गलती से वादी के नाम खसरा नम्बर 877/247 की 3.23 हैक्टयर भूमि जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा हैं वादी के नाम दर्ज कर दी एवं खसरा नम्बर 247 जो वादी के कब्जे काश्त में हैं प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज कर दी। भु-- प्रबन्ध विभाग द्वारा दो गलती की जिसमें प्रथम खसरा नम्बर 877/247 का मौके पर रकबा 3.23 हैक्टयर हैं उसके स्थान पर 4.04 हैक्टयर दर्ज कर दिया तथा खसरा नम्बर 247 का मौके पर रकबा 4.04 हैक्टयर उसके स्थान पर 3.23 हैक्टयर अंकित कर दिया गया, इसी प्रकार खातेदारी भूमि वादी के स्थान पर प्रतिवादी का एवं प्रतिवादी के स्थान पर वादी का नाम अंकित कर दिया, तदनुसार वादी ने वाद पेश कर दुरूत करने की इस्तु दुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने वाद के वाद को अपने जवाब में पूर्व में अस्वीकार किया हैं तथा मजीद उजरात एवं काउन्टर क्लेम पेश किया हैं जिसके पैरा संख्या 3 में स्पष्ट किया हैं कि वादी साबित हो जाता हैं तो खसरा नम्बर 877/247 रकबा 4.02 हैक्टयर में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 247 की भूमि में से 4 मीटर चौड़ा रास्ता पश्चमी कटाणी रास्ते से अन्तर्गत धारा 251ए के तहत राजकीय खोत में दर्ज करने का आदेश दिया जावे, उक्त प्रकरण में विवाद भूमि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा कर अलग अलग

उपखण्ड अधिकारी
मावां (नागौर)

खातेदारी करते समय खसरा नम्बरान में खातेदार व रकबे मे परिवर्तन करने का हैं, प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवायी गई जिसमे तहसीलदार ने दिनांक 06.06.2016 को उपभय पक्षकारान की उपस्थित में मौका निरीक्षण किया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 247 जिसका मौके व नक्शा ट्रेस के अनुसार रकबा 4.02 हैक्टयर हैं तथा वादी पोकरराम के कब्जे काश्त में हैं तथा खसरा नम्बर 866/247 का रकबा मौके पर नक्शा ट्रेस में 3.23 हैक्टयर हैं जिस पर प्रतिवादी झूताराम का कब्जा काश्त है, जिसको प्रतिवादीगण ने भी अपने काउन्टर क्लेम में स्वीकार किया हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2060--2063 खसरा नम्बर 877/247 रकबा 4.02 हैक्टयर भूमि पोकरराम पुत्र मांगूराम कौम जाट सा. देह खातेदार तथा खसरा नम्बर 246, 247, 267/1, 391 कुल रकबा 5.27 हैक्टयर भूमि झूताराम पुत्र मांगूराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। गत खसरा नम्बर 117 रकबा 70--08 बीघा भूमि के मिलान खसरा नम्बर के अनुसार 246, 247, 247/1, 249, 250, 251 जिसमें से खसरा नम्बर 249, 250 कुल रकबा 0.090 हैक्टयर भूमि वादी व प्रतिवादी के भाई बालूराम की खातेदारी में दर्ज हुआ जो सही हैं तथा मौके पर हो रखे बंटवारे के अनुसार ग्राम नालोट से अड़कसर जाने वाली सड़क से लगती हुई भूमि पर वादी पोकरराम का कब्जा काश्त हैं लेकिन उसके खसरा नम्बर 877/246 रकबा 3.23 हैक्टयर दर्ज कर दिया गया जबकि वास्तविक में खसरा नम्बर 877/247 रकबा 3.23 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी झूताराम का कब्जा काश्त हैं एवं खसरा नम्बर 247 रकबा 4.02 हैक्टयर भूमि पर वादी पोकरराम का कब्जा काश्त है जिसको प्रतिवादी झूताराम की खातेदारी मे सेटलमेन्ट द्वारा अंकित कर दिया गया हैं जबकि नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 877/247 अंकित किया हैं उस भूमि का रकबा 4.02 हैक्टयर हैं तथा खसरा नम्बर 247 का नक्शा ट्रेस में से नाप करने पर रकबा 3.23 हैक्टयर होता हैं केवल जमाबन्दी में नक्शा अंकित करते समय गलती हुई हैं जिसको दौराने बहस वादी व प्रतिवादी ने स्वीकार किया हैं प्रतिवादी ने उक्त दुरूस्ती योग्य माना हैं लेकिन रिकार्ड दुरूस्त करने के बाद खसरा नम्बर 877/246 रकबा 3.23 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं हैं विधिवत रूप से रास्ता कायम करते हुऐ रिकार्ड दुरूस्त किया जाता हैं तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है, जिसकी तायद तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से होती है, दोनों पक्षों द्वारा तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
मकराना (नागौर)

की मौका रिपोर्ट अनुसार सहमति दी हैं प्रतिवादी ने खसरा नम्बर 247 दुरूस्त करते हुऐ प्रतिवादी के हिस्से की भूमि तक आने जाने हेतु रास्ता कायम करते हुऐ दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया है, प्रतिवादी के कब्जे काश्त की भूमि तक जाने हेतु कोई रास्ते का विकल्प भी मौजूद नहीं हैं जिससे रास्ता दिया जाना भी आवश्यक है। जिससे वादी का वाद एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम दोनों स्वीकार किऐ जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम लोरा का बास के खसरा नम्बर 877/246 का रकबा 4.02 हैक्टयर के स्थान पर 3.23 हैक्टयर रकबा कायम करते हुऐ प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता हैं एवं खसरा नम्बर 247 का रकबा 3.23 हैक्टयर के स्थान पर 4.02 रकबा कायम करते हुए वादी पोकरराम की खातेदारी में घोषित किया जाता है, तदनुसार नक्शा ट्रेस में भी दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तत्पश्चात खसरा नम्बर 247 रकबा 4.02 हैक्टयर में से उत्तरी सींव के अन्दर अन्दर 4 मीटर चौड़ा रास्ता मौका रिपोर्ट दिनांक 06.06.2016 में दर्शित अनुसार खसरा नम्बर 877/247 की पश्चिमी सींव तक वादी पोकरराम की खातेदारी में से कम कर गै.मु. कटाणी रास्ता दर्ज घोषित किया जाता है। रास्ते में गई भूमि के बदले पोखराम को कोई मुआवजा दय नहीं होगा। तदनुसार रिकार्ड में दर्ज कर दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.2.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नावां